पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा
शिविर स्थल ग्राम पंचायत : 7 एपीडी भातीवाला, दिनांक : 25.06.2025

फार्म नं.– III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर

शांति देवी बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नम्बर ....81.. सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025/150.............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
25.06.2025	प्रार्थी शांति देवी पुत्री अन्नाराम के द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा के अन्तर्गत शिविर ग्राम पंचायत 3 केएसडी (सुखचैनपुरा) में दिनांक 24.06.2025 को आवेदन पेश कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सिगरती देवी दर्ज है को दुरूस्त कर शांति देवी दर्ज करने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार श्रीविजयनगर को जांच हेतु प्रेषित किया गया। आज दिनांक को शिविर ग्राम पंचायत 7 एपीडी (भातीवाला) में तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में सिगरती देवी के स्थान पर शान्ति देवी दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पहचान के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड एवं शिविर में तैयार किये गये फर्द मौका एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड चक 5 पीटीडी खाता सं. 48 में दर्ज मु.नं. 36 प.नं. 236/366 की कुल 2.024है. कमाण्ड मय खाला भूमि के काश्तकार के नाम सिगरती देवी पुत्री अन्नाराम को दुरूस्त करते हुए के स्थान पर शांति देवी पुत्री अन्नाराम दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से ज[illegible] निर्णय मजमा–ए–आम में [illegible]। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:42:31 IST
Reason: SelfAttested